आदर्श मछुआरा आवास योजना

*511. **श्री विद्या सागर निषाद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "आदर्श मछुआरा आवास योजना" के तहत दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को कितने आवास उपलब्ध कराये गये है;

(ख) उक्त योजना के तहत दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य – वार कितने बजट का प्रावधान किया गया है;

(ग) क्या राज्य सरकारें अपना 50 प्रतिशत अंशदान आसानी से देती हैं और यदि नही, तो इसके लिए केन्द्र सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा शत – प्रतिशत अनुदान न दिए जाने के क्या कारण है और इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (**श्री शरद यादव**) की ओर से **जल संसाधन मंत्री** (**श्री प्रियरंजन दासमुंशी**) : (क) से (घ) तक एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षो (2002 – 2005) के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के घटक "आदर्श मछुआरा गांव का विकास" के तहत मछुआरों के हितों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 29778 घरों की मंजूरी प्रदान की गई है।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002 – 2007) के दौरान इस योजना के निम्नलिखित तीन घटकों के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के लिए 120 करोड़ रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(1) आदर्श मछुआरा गांवों का विकास

(2) सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा

(3) बचत – सह – राहत

बराबर के अंशदान की उपलब्धता की पुष्टि तथा योजना के तहत पहले जारी धनराशि के उपयोग की प्रगति रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अतः राज्य/संघ शासित प्रदेशों को मछुआरा घरों के निर्माण के लिए आवश्यकता आधार पर धनराशि उपलब्ध करायी जाती है तथा योजना के तहत धनराशि का राज्य – वार आबंटन नही किया जाता।

(ग) और (घ) मात्सियकी राज्य का विषय है तथा केन्द्र सरकार उनके प्रयासों की प्रतिपूर्ति करती है। मछुआरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए राज्य सरकारों की भागीदारी आवश्यक है। दसवीं योजना के लिए योजना की अनुमोदित वित्त पोषण पद्धति के अनुसार, केन्द्र तथा राज्य सरकारें मछुआरों के घरों के निर्माण की लागत को 50:50 के आधार पर वहन करती है। तथापि, संघ शासित प्रदेशों के मामले में संपूर्ण लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

Adarsh Machhuara Awas Yojana

†*511 SHRI VIDYASAGAR NISHAD: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the number of houses provided to States during the Tenth Five Year Plan under the "Adarsh Machhuara Awas Yojana";

(b) the budget provision made during Tenth Five Year Plan under the [x] said scheme, State-wise;

(c) whether State Governments provide their 50 per cent share with ease and if not, the steps Central Government are taking for the same; and

(d) the reasons for not providing 100 per cent grant by the Central Government and the details of the steps being taken by the Central Government for the same?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PRIYARANJAN DASMUNSHI) on behalf of THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) During the first three years (2002—2005) of the 10th Five Year Plan, 29778 houses have been sanctioned to various States UTs for the benefit of fishers under the "Development of Model Fishermen Villages" component of the Centrally-Sonsored National Scheme of Welfare of Fishermen.

(b) The outlay approved for the National Scheme of Welfare of Fishermen during the Tenth Five Year Plan (2002—2007) to implement the following three components of the scheme is Rs. 12 0crore.

† Original notice of the question was received in Hindi.

(i) Development of Model Fishermen Villages

(ii) Group Accident Insurance for Active Fishermen

(iii) Saving-cum-Relief

The Central assistance is extended to the States/UTs on receipt of proposals along with confirmation of availability of matching share and progress in utilization of funds released under the scheme earlier. Thus, funds are provided to the States/UTs for construction of fishermen's houses on need basis and there is no state-wise allocation of funds under the scheme as such.

(c) and (d) A fishery is a State subject and Central Government supplements their efforts. The participation of state governments is necessary to cater to the needs of fishermen. As per approved funding pattern of the scheme for the Tenth Plan, the Central and State Governments share cost of construction of fishermen houses on 50:50 basis. However, in case of Union Territories, entire cost is borne by the Central Government.

श्री विद्या सागर निषाद : सभापति महोदय, माननीया मंत्री जी के द्वारा जो मछुआरों के संबंध में जवाब दिया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से नही दर्शाया गया है कि किस राज्य में कितने मकान दिए गए है । दूसरी बात यह है कि मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह और निवेदन किया है कि संघ राज्य में आप सौ प्रतिशत छूट देते है, लेकिन पूरे देश में राज्यों को यह छूट नही दी जा रही है जिसकी वजह से राज्यों में मछुआरों को जितने मकान मिलने चाहिए उतने मकान नही मिल पा रहे है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह संघ राज्य की तरह सौ प्रतिशत छूट सभी राज्यों को देना चाहते है? इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि बिहार में मछुआरों को 1992 और 1993 में जो मकान दिए गए है, वे आज तक पूरे नही हुए है । क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वे मकान आज तक क्यों नही बन गए हैं और वे मकान कब तक पूरी हो सकेंगे ?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : सभापति महोदय, जहां तक बिहार का सवाल है, मैं आदरणीय सदस्य महोदय को बताना चाहता हूं कि फिफ्टी – फिफ्टी रेश्यों के बेसिस पर, हमारी फिफ्टी परसेंट ग्रांट और राज्य सरकार की फिफ्टी परसेंट ग्रांट के बेसिस पर यह मकान बनता है, जिसको हम "मॉडल फिशरमैन विलेज" कहते है । अगर राज्य सरकार की मैचिंग ग्रांट का इसमें योगदान नही होता, तो मकान बनना मुश्किल हो जाता है । जहां तक अपने बिहार के बारे में सवाल पूछा है, मैं बिहार सरकार के साथ में तुरन्त सम्पर्क करके बाकी काम जितना जल्दी हो सकेगा, उसके लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा ।

सर, जहां तक स्कीम के बारे में सवाल है, यह बहुत अच्छी स्कीम रही है। इसका फायदा कई स्टेटों ने लिया है और सबसे ज्यादा फायदा कर्णाटक स्टेट ने लिया है। इस स्कीम के लागू होने के बाद से मछुआरों के सामने एक समस्या जरूर हुई, विलेज के अन्दर रहने के लिए जो हमारा मॉडल विलेज का प्रोग्राम है, वह तो ठीक है, लेकिन सहायता के लिए जो अन्दर वेलफेयर स्कीम्स एंड सपोर्ट है, जिसकी वजह से उनको वोट मिलता है, जिसकी वजह से उनको लोन मिलता है, उसमें उनको कभी – कभी दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग कंसर्न्ड मंत्रालय के द्वारा मछुआरों की समस्या को लेकर राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार मिलकर इसकी निगरानी में लगे हुए है और इसका फल अवश्य हमें मिलेगा।

श्री विद्या सागर निषाद : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, क्योंकि इसका जवाब मुझे नही मिल पाया है, भारत सरकार के द्वारा जो पचास प्रतिशत पैसा दिया जाता है, मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि वह पैसा शत प्रतिशत भारत सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। अगर नही दिया जा रहा है तो ऐसी हालत में राज्य सरकार के द्वारा पैसा पूरा नही होता है, उसके बजट में नही आता है, जिसकी वजह से मछुआरों को भारत सरकार द्वारा जो सहयोग मिल रहा है, वह सहयोग नही मिल पाता है। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप उसे क्यों नही शत प्रतिशत सहयोग दे रहे है, जबकि अन्य जगह पर दिया जा रहा है?

श्री सभापति : ठीक है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : सर, इस स्कीम में हमने किसी राज्य सरकार को शत प्रतिशत सहयोग नही दिया है। यह नियम बन गया है कि इसमें पचास प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार और पचास प्रतिशत पैसा राज्य सरकार देगी। अगर माननीय सदस्य की यह भावना हैं कि केन्द्रीय सरकार इसमें पूरा ही शत प्रतिशत पैसा दे दे, तो इस पर अभी तक मंत्रालय में और सरकार में कोई फैसला नही हुआ है। आपके सुझाव पर हम लोग गौर करेंगे।

प्रो0 राम देव भंडारी : सभापति महोदय, यह जो मछुआरा समुदाय है आमतौर पर समुद्र के किनारे रहता है।

श्री सभापति : कोई रेगिस्तान में थोड़े ही रहता है।

प्रो0 राम देव भंडारी : गांव घर में नदी के किनारे रहता है। समुद्र में छोटे – बड़े तूफान आते रहते है, अभी सूनामी भी आया है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान इसी समुदाय को उठाना पड़ता है।

श्री सभापति : आप जल्दी प्रश्न पूछ लीजिए।

प्रो0 राम देव भंडारी : सर, मैं जल्दी ही पूछ रहा हूं। मैं समझता हूं कि वर्ष में कई बार इनके घरों को नुकसान होता है और कई बार इनको घरों की मरम्मत करनी पड़ती है। महोदय, जैसा मंत्री जी

ने कहा है कि किसी राज्य को पूरी छूट नही देते है, पूरा खर्च केन्द्र सरकार नही उठाती है, यहां इन्हीं के जवाब में है कि संघ शासित प्रदेशों के मामले में सम्पूर्ण लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। यहां पर मैं बताना चाहता हूं की कई ऐसे पिछड़े राज्य हैं ....।

श्री सभापति : जवाब नही आ पायेगा।

प्रो0 राम देव भंडारी : जिनकी स्थिति अच्छी नही है।

श्री सभापति : भंडारी जी, क्वेश्चन का जवाब देने दीजिए।

प्रो0 राम देव भंडारी : मैं उसी विषय को दोहराना चाहता हूं कि आप पूरी छूट जिस प्रकार संघ शासित प्रदेशों को दे रहे है, उसी प्रकार से पूरी छूट दूसरे राज्यों को भी दें।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : सभापति महोदय, यूनियन टेरेटरी द्वारा अपने आप साधन जुटाना बहुत मुश्किल है, यह सबको मालूम है। यूनियन टेरेटरी में पांडिचेरी जहां पर मछुआरों को .....

श्री सभापति : आप जल्दी से उत्तर दीजिए।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : यूनियन टेरेटरी में शत प्रतिशत पैसा देना है, यह नियम में ही निश्चित हो गया था, इसलिए हम दे रही है। लेकिन जिन स्टेट्स में अपने साधन जुटाने की क्षमता है, उसको हम शत प्रतिशत करें, तो यह अभी मुश्किल होगा, क्योंकि उतने साधन नही है। फिर भी, मैं यह कह रहा हूं कि आपके सुझाव को मैं मंत्रालय में रखूंगा और इसके ऊपर चर्चा करूंगा।

Mr. CHAIRMAN: Question hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Fertilizer subsidy

†*502. SHRI RAVI SHANKAR PRASAD:

DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering an alternative calculation system for providing subsidy on fertilizers in the country;

(b)if so, the facts in this regard;

(c)the details of the system; and

†Original notice of the question was received in Hindi.